Uttarakhand Residential University Act, 2016

Act No. 20 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या– 136 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार 06 सितम्बर, 2016 ई0

भाद्रपद 15, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 230/विधायी एवं संसदीय कार्य/23(1)2016

देहरादून, 06 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 सन 2016 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या. 20वर्ष, 2016)

अनुक्रमणिका

अध्याय एक

प्रारम्भिकी

धाराएं	विवरण	पृ0सं0
1	संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	
2	परिभाषाएं	
	अध्याय – दो विश्वविद्यालय के उद्देश्य	
3	विश्वविद्यालय की स्थापना	
4	विश्वविद्यालय के उददेश्य	
5	विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य	
6	विश्वविद्यालय अधिकारिता	
7	विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का सभी वर्गों ,जातियों पंथ और लिंग के लिए खुला होना	
8	मानक तथा प्रत्यायन	
	अध्याय – तीन विश्वविद्यालय के अधिकारी	
9	विश्वविद्यालय के अधिकारी	
10	कुलाधिपति	
11	कुलपति	
12	प्रतिकुलपति	
13	संकायाध्यक्ष	
14	कुलसचिव	
15	वित्त अधिकारी	
16	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	
	अध्याय–चार विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	
17	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	
18	सभा	
19	कार्य परिषद	
20	शैक्षिक परिषद	
21	अन्य पदाधिकारी	
	अध्याय – पांच परिनियम, अध्यादेश और विनियम	
22	परिनियम	
23	परिनियम कैसे बनाये जायेंगे	
24	अध्यादेश	
25	विनियम	
	अध्याय – 6 प्रकीर्ण	

26	वार्षिक रिपोर्ट	
27	लेखाओं की सम्परीक्षा	
28	रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय अधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना	
29	विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना	
30	कुलाधिपति को संदर्भ	
31	वाद का वर्जन	
32	विश्वविद्यालयों के अभिलेखों को सिद्ध करने की शक्ति	
33	अपील करने का अधिकार	
34	कठिनाईयों का निराकरण	

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या. 20 वर्ष, 2016)

अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने तथा उससे सम्बंधित आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय — एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. **(1)** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) **'शैक्षिक परिषद्'** से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) **'कुलाधिपति'** से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ग) **'संघटक महाविद्यालय' अथवा परिसर'** से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित व संचालित अतिरिक्त परिसर/संस्थान अभिप्रेत है;

(घ) **'सभा'** से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ड.) **'संकायाध्यक्ष'** से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) **'निदेशक'** से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजनों व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

(छ) ''**कर्मचारी**'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्दे सम्मिलित है;

(ज) **'कार्य परिषद'** से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(झ) **'संकाय'** से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ञ) **'वित्त समिति'** से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(ट) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है ;

(ठ) **'संस्था'** से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्था अभिप्रेत है;

(ड) **'प्रबंन्धन मण्डल'** से किसी संस्थान/ परिसर के मामलों के प्रबंधन के लिए और उस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकाय अभिप्रेत है;

(ढ) **'विहित'** से परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) **'प्राचार्य'** से किसी संघटक महाविद्यालय के संबंध में संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है, और इसमें जहां प्राचार्य नही है उप प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(त) **'कुलसचिव'** से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(थ) **'स्कूल'** से विश्वविद्यालय के स्कूल अभिप्रेत है;

(द) **'राज्य'** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ध) **'परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों'** से कम्रशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम अभिप्रेत है;

(न) **'शिक्षक'** से आचार्य, सह आचार्य, रीडर, सहायक आचार्य, प्रवक्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय में अनुदेश, शिक्षण या अनुसंधान के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और जिसमें संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है;

(प) **'विश्वविद्यालय अनुदान आयोगा'** से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(फ) **''विश्वविद्यालय''** से इस अधिनियम के अधीन स्थापित अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ब) **'कुलपति'** से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है;

अध्याय – दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. **(1)** राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय ज्ञात नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा में होगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर, जो आवश्यक समझे, अपने अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नाम वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4 विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अवबोध का प्रसार और उसे उन्नत बनाना होगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य निम्नवत होंगे; अर्थात–

(1) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, आधुनिक विषयों पर विशेष लक्ष्य रखते हुए जिससे वे प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र बन सके,

अनुदेश के लिए उपबंध करना और और ज्ञान के उन्नयन और प्रसार के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(2) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;

(3) परिनियमों के उपबंधों के अनुसार संकाय, स्कूल तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक निकाय स्थापित करना;

(4) परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विश्वविद्यालय या इसके संस्थान/परिसर में अध्ययन,परीक्षा और/या अनुसंधान का विधिक पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां अन्ततः प्रदान करना;

(5) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(6) अन्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और प्रधाकारियों से ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य एवं सहयोग करना;

(7) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षकों के पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(8) आचार संहिता और अन्य आवश्यक उपाय अधिकथित करके विश्वविद्यालय और उसकी संस्थाओं के छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित और उसे प्रभावी करना;

(9) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, छात्रवृत्तियां (यात्रा शोध छात्रवृत्ति सहित) तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;

(10) विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों/परिसरों के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को मान्यता देना;

(11) ऐसी फीस और अन्य प्रभार की मांग और प्राप्त करना जैसा परिनियम द्वारा नियत किया जाय;

(12) विश्वविद्यालय या उसके संस्थानों/परिसरों के आवासों का पर्यवेक्षण ओर नियंत्रण तथा छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के संबर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(13) प्रशासनिक, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति करना;

(14) अनुसंधान और डिजाईन परियोजनाओं पर आधारित परामर्श के द्वारा संसाधनों का अर्जन करना और अपनी आस्तियों तथा संसाधनों को बढाने व उत्पादक उपयोग के लिए उपबंध करना, और

(15) विश्वविद्यालय के उददेश्यों को अग्रसारित करने के लिए यथाअपेक्षित ऐसे सभी

अन्य कार्य करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता 6 उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय की अधिकारिता उसके अंतर्गत स्थापित समस्त संस्थानों/परिसरों पर होगी।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों पंथ और लिंग के लिए खुला होना 7. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति, पंथ या लिंग के हो, परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी पाठयक्रम में अध्यादेश द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने पर प्रतिबंध है।

मानक तथा प्रत्यायन 8. (1) विश्वविद्यालय द्वारा आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले संशोधित मानकों/विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय संबंधित राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था/संस्थाओं से जैसा अपेक्षित हो, मान्यता प्राप्त करेगा।

अध्याय – तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी 9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः –

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति

(ग) प्रति–कुलपति

(घ) संकायाध्यक्ष;

(ड.) कुलसचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जा सकेगा।

कुलाधिपति 10. **(1)** राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, तो उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी कार्य से संबंधित ऐसी सूचना मंगा सकेगा तथा उस पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो वह विश्वविद्यालय के हित में ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा अधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगें।

(4) मानद उपाधि या विशिष्टतया प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(5) कुलाधिपति समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रगति और कर्य के पुनर्विलोकन के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और उस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कुलाधिपति उस पर कार्य परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह रिपोर्ट में व्यहृत किसी मामले के संबंध में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए बाध्य होगा।

(6) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दें, विश्वविद्यालय उसके भवनों,प्रयोगशालाओं और उपस्कर का तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और किये जा रहे अन्य कार्यों का भी निरीक्षण कराने का तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी मामलें की बावत् की जाने वाली जांच कराने का भी अधिकार होगा।

(7) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण एवं जांच में उपिस्थित रहने व सुने जाने का अधिकार होगा।

(8) कुलाधिपति, कुलपति को ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम संदर्भित करेगा और कुलपति कार्य परिषद् को कुलाधिपति द्वारा दिये गये ऐसे परामर्श एवं उस पर की गयी कार्रवाई सहित उनके आशय से अवगत करायेगा।

(9) कार्य परिषद् कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही यदि कोई है जो वह ऐसे निरीक्षण की जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या जो की गयी है, संसूचित करेगी।

(10) जब कार्य परिषद् समुचित समय के अन्दर कुलाधिपति के समाधान रूप में कार्रवाई नहीं करती है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जैसा वह ठीक समझें, दे सकेगा और कार्य परिषद ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(11)कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को अकृत कर सकेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नही है।

कुलपति

11. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धों और शर्तो पर जैसे कि परिनियमो द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति करेगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होगें: अर्थात्:–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक

होगा।

(3) समिति गुणावगुण के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिए अपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टियों के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेजेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापो पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्रधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) जहां शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसी अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवही करना आपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही ना की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्रवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।

(7) इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करने का कर्तव्य कुलपति का होगा।

(8) कुलाधिपति कुलपति को हटाने के लिए या जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत् रखते हुए निलंबित करने के लिए, जो भी वह ठीक समझे, सशक्त है।

प्रति–कुलपति

12 प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी रीति से की जा सकेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित कियें जायें।

संकायाध्यक्ष

13 प्रत्येक संकाय और स्कूल का प्रधान संकायाध्यक्ष होगा। संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेग और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

14 (1) कुलसचिव की नियुक्ति उत्तरांचल राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 के अधीन ऐसी रीति एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जो विहित किये जाये।

(2) कुलसचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा और कुलपति के पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कार्य करेगा।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(4) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ओर वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायें या परिनियमों या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(5) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और दस्तावेज जो उनके कारबार के संव्यहार के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए आवद्ध होगा।

(6) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिनियमों या अध्यादेशों में विवित किया जाय या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो।

वित्त अधिकारी 15 (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के बजट (वार्षिक आंकलन) और विवरण कार्य परिषद् के सम्मुख रखने, विश्वविद्यालय की निधियों के समान्य पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।

(3) वह सीधे कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(4) उसे कार्य परिषद् की कार्यवाहियों में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत डालने का हकदार नही होगा।

(5) उसका विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण एवं वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देने का कर्तव्य होगा–

(क) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो न किया जाय;

(ख) ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों या किसी परिनियम या अध्यदेश की शर्तों के उल्लंघन में हो;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुइ है और सम्परीक्षा के दौरान पायी गई अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्रवाई करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पति तथा विनिधान संरक्षित और सुप्रबंधित हो;

(ड.) लेखाओं की नियमित रूप से सम्परीक्षा करायेगा।

(6) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होगें जो विहित किये जायं।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी 16 विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निर्बन्धन व शर्ते तथा शक्तियां व कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय–चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात :–

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) शैक्षिक परिषद्;

(घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायेगें।

सभा

18. **(1)** सभा विश्वविद्यालय की एक परामर्शी निकाय होगी और उसे विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने की, वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने और संकल्प पारित करने की तथा कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों पर सलाह देने की शक्ति होगी।

(2) सभा निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात––

पदेन सदस्य––

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रतिकुलपति;

(घ) कार्य परिषद् के ऐसे शेष सदस्य जो अन्यथा सभा के सदस्य नहीं है;

(ड.) संकायाध्यक्ष;

(च) कुलसचिव;

(छ) वित्त अधिकारी;

(ज) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;

(झ) विश्वविद्यालय की संस्थान/परिसर के प्रधान;

(ञ) राज्य विधान सभा के दो प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है;

(ट) लब्ध प्रतिष्ठित वृत्तियों, उद्योग, वाणिज्य और कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वृत्तियों का प्रतिनिधत्व करने वाले दस से अनधिक व्यक्ति जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाना है; परन्तु यह कि नामांकन करते समय विभिन्न हितों, वृत्तियों और योग्यता को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(ठ) शिक्षकों के प्रतिनिधि– पांच शिक्षक जिनका विहित रूप से चयन किया जाना हैः

परन्तु यह है कि शिक्षकों के प्रथम प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ड) प्रबन्धन मंडल के दो प्रतिनिधि जो विहित रीति से नामित किये जायेंगे;

परन्तु यह है कि इस खण्ड के अंतर्गत प्रथम प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ढ) छात्रों के प्रतिनिधि––

प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि जो संकाय के पूर्ववर्ती उपाधि की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करें और विश्वविद्यालय में स्नात्तकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययन के

किसी पठयक्रम में, का हो;

(3) पदावधि और बैठकों की संचालन के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

कार्य परिषद् 19. **(1)** कार्य परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी; अर्थात –

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रतिकुलपति यदि कोई हो

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव;

(घ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;

(ड़) विहित रीति से चक्रानुक्रम में दो संकायाध्यक्ष;

(च) विश्वविद्यालय के संकायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आचार्य जो विहित रूप से चयनित किया जाय;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित सभा के तीन सदस्य जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा ;

(ज) कुलाधिपति के तीन नामित व्यक्ति जो उद्योग, प्रबन्धन, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे;

(2) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारी निकय होगी ओर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात––

(क) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को अधिकथित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पति और निधियों को धारित करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना कि वे उपबंधों के अनुरूप है या नहीं;

(घ) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(ड़) नवीन या अतिरिक्त परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों की संस्तुति करना या विश्वविद्यालय के पूर्व परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों का संशोधन या निरसन करना;

(च) राज्य सरकार को भेजने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना;

(छ) ऐसे विनिश्चय करना और कदम उठाना जो विश्वविद्यालय के उददेश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वांछनीय पाये जाते है;

परन्तु यह है कि कार्य परिषद् के प्रथम सदस्यों को कुलाधिपति द्वारा नामित किया जायेगा और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) कार्य परिषद् की एक वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा कुलपति ठीक समझे।

शैक्षिक परिषद् 20. शैक्षिक परिषद विष्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी जिसका गठन, पदावधि तथा संगत उपबंध ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अन्य पदाधिकारी 21. धारा 17 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की संरचना, कृत्य ओर कार्यवाही ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाय।

अध्याय – पांच
परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम 22. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए परिनियमों में व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकारियों की सदस्यता के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं, उनके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाया जाना तथा उससे संबद्ध अन्य मामले;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य;

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निबन्धन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय का प्रशासन परिसरों/ संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन, अध्येतावृत्तियां, पुरस्कार इत्यादि को संस्थित करना, उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना तथा प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा प्रदान कराना;

(ड.) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया,

(च) कोई अन्य विषय जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबन्धन तथा कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे 23. (1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे।

(2) कार्य परिषद् समय–समय पर इस धार के विहित रीति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों मे संशोधन या उनका निरसन कर सकेंगी;

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियां गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी या उसमें कार्य परिषद् द्वारा उस पर कोई संशोधन नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय लिखित रूप में होगी और कार्य परिषद् द्वारा उस पर विचार किया जायेगा;

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् छात्रों के अनुशासन और अनुदेश शिक्षा के मानकों तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम शैक्षिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ही बनाएगी अन्यथा नहीं।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम में किया संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसमें अनुमति दे

सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद् के विचारार्थ उसे लौटा सकेगा।

(4) किसी नये परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाले परिनियम की तब तक कोई वैधता नही होगी जब तक कि कुलाधिपति उस पर अनुमति न दे दे।

(5) पूर्वगामी उपराधाओं में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राज्य या राष्टीय शिक्षा नीति के हित में या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह/संस्तुतियों के आधार पर कुलाधिपति के अनुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या पहले से प्रवृत्त परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

अध्यादेश 24. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन निम्न सभी या किसी मामले में उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात–

(क) छात्रों के प्रवेश, अध्ययन पाठयक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियों से संबंधित अर्हताऐं, अध्येतावृत्तियों, पुरस्कार इत्यादि दिये जाने के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति सहित, और छात्रों के निवास की शर्तें तथा उनका सामान्य अनुशाासन;

(ग) अन्य कोई मामले जो कि इस अधिनियम या परिनियमों में उपबंधित किये जाने है, या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किये जा सकेंगे।

(2) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी समय परिनियमों में विहित रीति से संशोधित, निरसित या परिबर्धित किए जा सकेंगे।

विनियम 25. विश्वविद्यालय अपने और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए इस अधिनियम,परिनियमों एवं अध्यादेशों संगत अंशों जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में जो उपबंधित नहीं किया गया है, परिनियमों में विहित रीति से विनियम बना सकेगा।

अध्याय – छः
प्रकीर्ण

वार्षिक रिपोर्ट 26. **(1)** विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निर्देशन के अधीन तैयार की जायेगी और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाय, सभा को प्रस्तुत की जायेगी और सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में उस पर विचार किया जायेगा।

(2) सभा उस पर अपनी टीका टिप्पणी कार्य परिषद् को संसूचित कर सकेगी जो उस पर अग्रेत्तर कार्यवाही जो वह ठीक समझे, कर सकेगी।

लेखाओं की सम्परीक्षा 27. **(1)** विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत कर, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी सम्परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखाओं, तुलनपत्र और सम्परीक्षा रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा और सभा के संकल्प द्वारा उसके प्रतिनिर्देश से संस्तुतियों की जा सकेगी और उन्हें कार्य परिषद को संसूचित करेगी।

(3) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति उस पर सम्परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

(4) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये कोई संप्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लायें जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलपति या कार्यपरिषद् के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिपूर्ण नही होगा जो या तो बजट में स्वीकृत न हो या विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों के मामले में बजट की मंजूरी के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अंतराष्ट्ीय संगठन या प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी शर्तो पर स्वीकृत अनुदान पश्चातवर्ती स्वीकृत हो;

परन्तु यह कि कुलपति अग्नि, बाढ, अत्यधिक वर्षा या अन्य अचानक या अदृश्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अनावर्ती व्यय जो कि दस हजार रूपयें तक का हो, बजट में स्वीकृत न होने पर भी उपगत कर सकेगा।

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय अधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना 28. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामांकन, या

(ग) नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना 29. कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है जो कार्यपरिषद् की राय में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर

किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वापस ले सकेगी।

कुलाधिपति को संदर्भ 30. **यदि** कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के केसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अंतर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है, या नहीं तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चित अंतिम होगा;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश–

(क) उस दिनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चातद्ध या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय् नहीं किया जायेगा।

वाद का वर्जन 31 राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिए न कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति 32. (1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन,सूचना,आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राहय होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार ना हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती है, पेश करने की या साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

अपील करने का अधिकारी 33. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा इसके अंतर्गत संस्थानों/परिसरों के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध ऐसे समय के अन्दर जो विहित किया जाय, कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा उस पर कार्य परिषद् उस विनिश्यच की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगी उसमें उपांतरण कर सकती है अथवा उसको परिवर्तित कर सकती है।

कठिनाइयों का निराकरण

34. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नही था।

1{प्रथम कुलपति की संक्रमणकालीन शक्तियां

35. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः माह अथवा सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्देशित एक वर्ष से अधिक अवधि के भीतर विश्वविद्यालय के परिषद् और अन्य प्राधिकारियों के गठन के लिए व्यवस्था करने का दायित्व प्रथम कुलपति का होगा।

(2) प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक नियम बनायेगा।

(3) प्रथम कुलपति का यह दायित्व होगा कि वह सरकार के लिए तुरन्त आवश्यक ड्राफ्ट तैयार करे और उसे सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन के लिए अग्रेषित करे।

(4) मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी और मूल अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से गठित प्राधिकारी के समय तक प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा किसी समिति का गठन अस्थाई रूप से करेगा और वह ऐसे अधिकारी की किसी शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों की निर्वहन करेगा।}

....

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2018 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।